

जनरल मोहयाल सभा (जी.एम.एस) चुनाव - 2021

आचार संहिता

मोहयाल बिरादरी के सभी भाई-बहन पूरी तरह से जानते हैं कि जी.एम.एस संविधान (15 मई 2011) के अनुसार, चुनाव समिति ने मतदाताओं के लिए चुनाव कार्यक्रम और दिशानिर्देशों को अधि-सूचित किया है और 4 मार्च 2021 को जीएमएस वेबसाइट पर अपलोड भी किया गया है और कोड-आचरण उसी तिथि से लागू होता है।

आपकी शीर्ष संस्था जी. एम. एस एक सदी से अधिक समय तक बिरादरी की सेवा में रही है। संस्था का मूल उद्देश्य जरूरतमंदों की मदद करना और हमारी प्रिय बिरादरी में सामंजस्य को बनाए रखना है।

यह कहने की कदाचित् आवश्यकता नहीं है कि इस अवसर पर हमारा परम नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि वांछित निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया जाए। हम पूरी ईमानदारी से सभी सम्मानित सदस्यों से आग्रह करेंगे कि नीचे उल्लेखित आचार संहिता का सख्ती से पालन करें :-

- सभी पात्र/योग्य मतदाताओं को बिना किसी भय, पक्ष और किसी बाहरी प्रभाव के समुदाय के सर्वोत्तम हित में अपना वोट देने के लिए अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करना चाहिए।
- जी.एम.एस की उच्च नैतिक मूल्यों को बनाए रखने की समृद्ध परंपरा है, जिसे सभी के द्वारा पोषित किया जाना चाहिए, ताकि मोहयालियत की निरंतरता सुनिश्चित हो सके। जैसा कि हमारी मोहयाल- प्रार्थना में वर्णित है, जिसे हम सभी अपने दैनिक जीवन और बातचीत में देखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- यह सर्व विदित है कि हर मोहयाल, बिरादरी के प्रति ईमानदारी, त्याग और समर्पण का प्रतीक है। उसी भावना को प्रदर्शित किया जाना चाहिए और हमेशा देखा जाना चाहिए।
- सभी सदस्यों से ईमानदारी से अनुरोध किया जाता है कि सभी मोहयाल -बिरादरी के सदस्यों को उच्च-सम्मान और आदर दें ताकि समुदाय में एक शांतिपूर्ण और सौहार्द का वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।
- यह उम्मीद की जाती है कि, सदस्य घृणा फैलाने, झूठे आरोप लगाने, अप्राकृतिक भाषा का उपयोग करने और बदनाम करने या चुनाव प्रक्रिया के सुचारू संचालन में बाधा डालने से बचेंगे। चुनाव समिति द्वारा आचार संहिता के किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से देखा जाएगा।



रायजादा के के बाली
चुनाव अधिकारी (संयोजक)



डॉ सुभाष दत्ता
सदस्य चुनाव समिति



ब्रिगेडियर अरुण बाली (सेवानिवृत्त)
सदस्य चुनाव समिति